कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर
दूरभाष– 2236685– फैक्स– 0771–2224476
email :- ceoraipur.cg@nic.in

क्र. 21/चार/निर्वा.व्यय/2014/ 231 रायपुर, दिनांक .01.2015 02-02-15
प्रति,

अध्यक्ष,
गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल
समस्त, छत्तीसगढ़
....

विषयः–पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बावत् ।
संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र क्र. 21/चार/निर्वा.व्यय/2014/14006, दिनांक 29 नवम्बर, 2014 एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2014

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें पंजीकृत गैर मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने संबंधी दिशा–निर्देश के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 76/PPEMS/Transparency/2014, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 एवं 29 अगस्त, 2014 की प्रति आपको प्रेषित गई है । आयोग के पत्र दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 के बिन्दु 3 के पैरा (iii) में उल्लेखित निम्नानुसार निर्देशों एवं निर्धारित समय–सीमा के अनुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है :–

01. आयकर रिर्टन दाखिल किये जाने संबंधी जानकारी प्रत्येक वर्ष दिनांक 30 सितम्बर तक
02. वार्षिक लेखा परिक्षण संबंधी जानकारी प्रत्येक वर्ष के दिनांक 31 अक्टूबर तक
03. निर्वाचन व्ययों का लेखा संबंधी जानकारी विधानसभा चुनाव के लिये निर्वाचन अवधि पूर्ण के 75 दिवस के भीतर एवं लोकसभा चुनाव के लिये निर्वाचन अवधि पूर्ण होने के 90 दिवस के भीतर

कृपया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुये उपरोक्तानुसार 03 बिन्दुओं के संबंध में वांछित जानकारी पत्र के संलग्न निर्धारित प्रपत्रों में **दिनांक 30 जनवरी, 2015 तक** अनिवार्यतः इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें ।

- आयकर रिर्टन दाखिल किये जाने संबंधी जानकारी **परिशिष्ट–1** मे दिया जावे, साथ ही दाखिल दस्तावेज की छायाप्रति भी भिजवायें ।
- वार्षिक लेखा परिक्षण संबंधी जानकारी **परिशिष्ट–2** में दिया जावे, साथ ही दाखिल दस्तावेज की छायाप्रति भी भिजवायें ।

➤ विधानसभा आम चुनाव–2013 एवं लोकसभा आम चुनाव–2014 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा नियत अवधि के भीतर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किये जाने संबंधी जानकारी **परिशिष्ट–3** में दिया जावे, साथ ही दाखिल दस्तावेज की छायाप्रति भी भिजवायें ।

उल्लेखनीय है कि यदि आपके पार्टी के किसी भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन नहीं लड़ा गया है, तो भी **परिशिष्ट–1 एवं 2** की जानकारी एवं **परिशिष्ठ–3** में किसी भी अभ्यर्थी के निर्वाचन न लड़ने की टिप्पणी रिमार्क के कॉलम में अंकित की अवश्य की जावे । उपरोक्तानुसार वांछित जानकारी निर्धारित प्रपत्रों में आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुकूल नहीं है । **दिनांक 07 फरवरी, 2015 तक** अपने जवाब सहित उक्त जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध करावें, ताकि भारत निर्वाचन आयोग को अवगत कराया जा सके ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(निधि छिब्बर)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
छत्तीसगढ़

पृ.क्र. 21/चार/निर्वा.व्यय/2014/ 232 रायपुर, दिनांक 02-02-15 .01.2015

प्रतिलिपिः–

श्री विनोद आगलावे, सिस्टम मैनेजर, कार्यालयीन कम्प्यूटर शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
छत्तीसगढ़